प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, राजसमन्द (राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर, **वर्ष 2022** प्र.ई.रि.सं......473/2022...... दिनांक ......15/12/2022......

2.–(1) अधिनियम **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018** धारा 7,7ए एवं 120 बी भादस

(2) अधिनियम धारा

(3) अधिनियम धारा.......................–...............................

(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....–...............................

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या...........283.........समय..........11:58 A.M.

(ब) अपराध के घटने का दिन गुरूवार, **दिनांक 14.12.2022, समय** 11.20 एएम

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की **दिनांक 01.12.2022 समय 05.10 पी.एम.**

4.–सूचना की किस्मः– लिखित/मौखिकः–लिखित

5–घटनास्थलः– गोमती चौकी के पास स्थित सब्जी का ठेला

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– दिशा–उत्तर बफासला 30 किलोमीटर

(ब) पता..

....बीट संख्या ....जरायमदेही सं...................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना...............जिला.............

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ).–नाम :– श्री शम्भु सिंह

(ब).–पिता का नाम :– श्री जबरसिह बालोत,

(स).–जन्म तिथि :– उम्र–40 वर्ष

(द).–राष्ट्रीयता :– भारतीय

(य).–पासपोर्ट संख्या.......–.........जारी होने की तिथि.......–..........जारी होने की जगह.....–. .... (र).–व्यवसायः– प्राईवेट नौकरी

(ल).–पता :– निवासी पु0 पो0–पावटा त0 आहोर पु0 थाना–आहोर, जिला जालोर

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–................

1. श्री डाउराम पुत्र स्व0 श्री चुन्नीलाल जी जाति खटीक उम्र 52 वर्ष निवासी अर्जुनगढ पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द हाल हैड कानि0 नं0 1017 चौकी गौमती पुलिस थाना चारभुजा
2. श्री भंवरनाथ पुत्र लेहर नाथ जाति नाथ उम्र 31 वर्ष पैशा–सब्जी विक्रेता निवासी जस्सा जी का गुडा पुलिस थाना चारभुजा जिला राजसमन्द

8.– परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारणः–कोई नही

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)
20,000/– रूपये ट्रेप राशि

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य **20,000/– रूपये ट्रेप राशि**

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)..................................–..........................

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

महोदय जी,

वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01–12–2022 को समय 05.10 पीएम पर परिवादी श्री शम्भुसिह S/O जबरसिह बालोत, उम्र 40 साल जाति राजपूत पु0 पो0–पावटा तह0 आहोर पुलिस थाना–आहोर, जिला जालोर (राज) हालः– shop no-1 Goldensand Appt Plot no. 44-Gorai-2 Borivali west Mumbai 92 Maharastra ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि " मैं प्राथी मुल रूप से गाव पावटा, त0 आहोर पुलिस थाना आहोर जिला–जालोर का रहने वाला हुं। मेरे खिलाफ रंजिसवश पुलिस थाना चारभुजा पर मुकदमा संख्या 176/22 दर्ज करवाया गया। ये प्रकरण राहूल उर्फ वरदाराम मेवाडा ने मेरे खिलाफ रंजिसवश दर्ज करवाया है इस प्रकरण से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकरण में अनुसंन्धान अधिकारी दाऊराम हेड कांसटेबल ने मुझे पुलिस चौकी गोमती बुलाया जिस पर में दिनाक 29.11.2022 को पुलिस चौकी गोमती पर गया तो प्रकरण के अनुसंन्धान अधिकारी ने डराया धमकाया और इस प्रकरण में गिरप्तार कर जेल भेजने कि धमकी दी और अवेध राशि की मांग की जिस पर मैने 5,000/– रूपये दाऊराम हेडकासंटेबल को दे दिए। इसके बावजुद भी दाऊराम हेडकासटैबल मुझसे 20,000/– रूपये रिस्वत राशि कि मांग कर रहा है। मैं हेड कांसटेबल दाऊराम को रिस्वत राशि 20,000/– रूपये नही देना चाहता हुं। मैं दाऊराम हेडकांस्टेबल को रिस्वत राशि 20,000/– रूपये लेते हुए रगें हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरी दाऊराम हेड कांसटेबल से कोई आपसी रंजिस नही है और ना ही कोई आपसी लेनदेन की बकाया है। अतः श्री मान से निवेदन कि कानुनी कार्यवाही करावें। श्री दाऊराम द्वारा मेरा नाम मुकदमे से निकालने के एवज में 20,000/– रूपये (बिस हजार) रिस्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।" जिस पर परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट पर मन् उप अधीक्षक पुलिस अनूप सिंह ने परिवादी से मजीद दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि संदिग्ध दाऊराम हैड कास्टेबल पूर्व में मुझे डरा धमका कर 5,000 रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर चुके हैं और मुकदमे से मेरा नाम निकालने की एवज में 20,000 रूपये की रिश्वत राशि की और मांग कर रहे हैं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं दरियाफ्त परिवादी से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से दिनांक 01.12.2022 को ही रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री डाऊराम हैड कानि0 ने परिवादी से 20,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि की तथा रिश्वत राशि 20,000 रूपये गौमती चौकी के पास स्थित सब्जी के ठेले पर काम करने वाले श्री भंवरनाथ को देने के लिए कहा।

दिनांक 14.12.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर मन् पुलिस उप अधीक्षक अनूप सिंह मय स्वतंत्र गवाहान श्री जीवन सिंह एवं राहुल जोशी, श्रीमती सीता हैड कानि0 नं0 233 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक तथा श्री गोविन्दनारायण जोशी हैड कानि0 नं. 117, श्री किशनाराम नं0 404, श्री प्रदीप कानि. नं. 162 मय वाहन नं. आरजे 30 टीए 1860 मय चालक श्री सोहनलाल मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप मय प्रिन्टर के तथा परिवादी को कानि. श्री जितेन्द्र कुमार नं. 262 की मोटरसाईकिल पर रवाना शुदा समय करीबन 11.05 एएम पर गौमती चौकी से कुछ दुरी पहले रूक पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर परिवादी को सुपुर्द किया गया डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द किया जाकर कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार के साथ आरोपी के कहे अनुसार रिश्वत राशि श्री भंवरनाथ को गौमती चौकी के बाहर स्थित उसकी सब्जी के ठेले पर देने हेतु रवाना किया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के गाड़ियों को एक तरफ खडी कर अपनी–अपनी उपस्थित छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे का इंतजार करने लगे। समय 11.20 एएम पर परिवादी ने निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर किया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के रवाना होकर परिवादी के पास गोमती चौकी के बाहर सब्जी के ठेले के बाहर पहुंचे। परिवादी ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्ड मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किया जिसे मैने बन्द कर सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह प्राईवेट व्यक्ति है जिसको मैंने हैड साहब श्री डाऊराम के कहे अनुसार 20,000 रूपये रिश्वत राशि दिए है। जिस पर उक्त व्यक्ति ने रिश्वत राशि अपने हाथ में लेकर दोनों हाथो से गिनकर अपने एल्युमिनियम के गल्ले (रूपये रखने का गल्ला) के अंदर रखे है। तथा मेरे

सामने ही उक्त व्यक्ति ने अपने मोबाईल का स्पीकर ऑन कर हैड साहब के मोबाईल पर फोन पर 20,000 रूपये प्राप्त करने संबंधी वार्ता की जो मैने भी सुनी। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान श्री राहुल जोशी सहायक अभियंता से एल्युमिनियम के गल्ले को खुलवाया जाकर, गल्ले में रखे नोट निकलवाये गये तथा उक्त नोट सफेद कागज की पर्चियों के उपर रखे थे उक्त पर्चिया भी गवाह श्री राहुल जोशी से निकलवायी गयी। उक्त नोट एवं पर्चियां गवाह श्री राहुल जोशी के पास ही रखवाये जाकर श्री भंवरनाथ का एक हाथ श्री किशनाराम कानि0 एवं दूसरा हाथ श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 से कलाई से उपर पकडवाया जाकर मय हमराहियान के चौकी गोमती पर पहुंचे। जहां पर पुलिस वर्दी में हैड कानि0 श्री डाऊराम उपस्थित मिला। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने हैड कानि0 को अपना परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा कर हैड कानि0 से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री डाउराम पुत्र स्व0 श्री चुन्नीलाल जी जाति खटीक उम्र 52 वर्ष निवासी अर्जुनगढ पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द हाल हैड कानि0 नं0 1017 चौकी गौमती पुलिस थाना चारभुजा होना बताया। ततपश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक ने प्राईवेट व्यक्ति से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री भंवरनाथ पुत्र लेहर नाथ जाति नाथ उम्र 31 वर्ष निवासी जस्सा जी का गुडा पुलिस थाना चारभुजा जिला राजसमन्द होना बताया। श्री भंवरनाथ से रिश्वत राशि ग्रहण करने बाबत पुछा तो उसने बताया कि दिनांक 01.12.2022 को हैड साहब श्री डाऊराम मेरी सब्जी के ठेले पर आये थे उनके साथ यही व्यक्ति उस दिन मौजूद था, हैड साहब ने मुझे बताया कि यह व्यक्ति आपके पास आयेगा आपको अपना कोई आईटम दे के जायेगा, तु ले लेना, पर्ची पर अपना नाम लिख कर देगा। इसलिए मैंने आज डाऊराम जी के कहने पर उक्त राशि प्राप्त की, मुझे नही मालूम है कि उक्त राशि किस बात की ली है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने श्री डाऊराम हैड कानि0 से 20,000 रूपये रिश्वत राशि बाबत पुछा तो आरोपी ने कहा कि मैंने परिवादी श्री शम्भु सिंह से कोई रिश्वत राशि प्राप्त नही की ओर ना ही मैने रिश्वत राशि की मांग की। जिस पर आरोपी को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने दिनांक 01.12.2022 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है, उक्त वार्ता को दोनों गवाहान के समक्ष चलाकर सुनाया गया। उक्त वार्ता सुनकर हैड कानि0 श्री डाऊराम निरूत्तर हो गया और इधर उधर झांकने लगा। ततपश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि लेने देन वार्ता सुनी गयी तो आरोपी श्री भंवरनाथ ने आरोपी श्री डाऊराम हैड कानि0 के लिये 20,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना एवं श्री भंवरनाथ द्वारा अपने मोबाईल से डाऊराम हैड कानि0 के मोबाईल पर वार्ता कर परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने संबंधी वार्ता होना एवं आरोपी डाऊराम द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने पर सहमति जाहिर करना पाया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने श्री डाऊराम हैड कानि0 से पुलिस थाना चारभुजा में दर्ज प्रकरण संख्या 176/22 की पत्रावली पेश करने बाबत कहा तो श्री डाऊराम हैड कानि0 ने उक्त पत्रावली दिनांक 13.12.2022 को अभियोजन कार्यालय राजसमन्द में ब्रीफ हेतु भिजवायी जाना तथा प्रकरण से संबंधित कोई दस्तावेजात स्वयं के पास नहीं होना बताया। ततपश्चात श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नं. 117 से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर हाथ धुलवाई की कार्यवाही हेतु हैड कानि0 श्री गोविन्द नारायण नं. 117 से ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलासों में अलग–अलग साफ पानी भरकर मंगवाया तथा उक्त दोनों गिलासों में अलग–अलग एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया। उक्त घोल को दोनों गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में श्री भंवरनाथ प्राईवेट व्यक्ति के दाहिने हाथ की अंगुलियां एवं अंगूठा को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क आर0 एच0–1 व आर0 एच0–2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में श्री भंवरनाथ प्राईवेट व्यक्ति के बाये हाथ की अंगुलियां एवं अंगूठा को धुलवाया गया तो बाये हाथ के धौवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क एल0 एच0–1 व एल0 एच0–2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। ततपश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान श्री राहुल जोशी से आरोपी श्री भंवरनाथ के सब्जी के ठेले पर रखे गल्ले से मिले नोटो के

नम्बरो का फर्द सुपूर्दगी नोट से मिलान करने के लिए दोनो गवाहान को कहा तो दोनो गवाहान ने उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द सुपूर्दगी नोट से किया गया तो तलाशी में मिले नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना बताया एवं 500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/– रूपये होना बताया तथा उक्त नोटो के साथ ही एक पर्ची जिस पर Head Saheb गोमती चौकी दाऊराम जी 20,000/– From शंभुसिंह 14/12/2022 जो परिवादी ने नोटो के साथ ही श्रीमती तारा म0कानि0 नं0 259 से परिवादी की जेब में नोटो के साथ ही रखवायी थी जो प्राप्त हुयी। जिसे पत्रावली में संलग्न किया गया। तथा उक्त नोटों को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये।

इसके पश्चात रिश्वत राशि बरामदगी आरोपी के गल्ले में रखी सफेद पर्चिया जिस पर से रिश्वत राशि बरामद हुई, उक्त स्थान की धुलवाई हेतु एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया तथा उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया। उक्त घोल को दोनों गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन होना बताया। रिश्वत राशि बरामदगी स्थान सफेंद कागज पर रूंई का फोया रगडकर उक्त रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला हो गया। जिसे हाजरीन को दिखाया तो उक्त धौवण का रंग मटमैला होना बताया उसके पश्चात् उक्त धौवण को दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क जी–1 व जी–2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। सफेद पर्चीया देव नारायण सब्जी भंडार के पिछे की तरफ सफेद कागज पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर संलग्न पत्रावली किया गया। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल एवं फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। मौके पर वाहनों की काफी आवाजाही होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से तथा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही माकुल व्यवस्था नही होने से समय 12.20 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी मय आरोपीगण श्री डाऊराम हैड कानि0 नं0 1017 एवं श्री भंवरनाथ मय मालखाना आर्टीकल्स, रिश्वत राशि के रवाना होकर समय 12.50 पीएम पर एसीबी कार्यालय राजसमन्द पहुंच फर्द बरामदगी रिश्वती राशि नोट एवं हाथ धुलाई फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गए। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन–देन, फर्द मोबाईल जप्ती आरोपीगण, फर्द मेमोरी कार्ड जप्ती, फर्द नष्टीकरण सील आदि फर्दात अलग से तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। इस कार्यालय से पुलिस थाना चारभुजा को तहरीर जारी कर पुलिस थाना चारभुजा में दर्ज प्रकरण संख्या 176/22 की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां चाही गयी जो प्राप्त हुई जिसका अवलोकन किया गया तो आरोपी श्री डाऊराम हैड कानि0 नं0 1017 ने परिवादी श्री शंभुसिंह का नाम मुलजिम से प्रथक रखा जाना पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियो से पाया गया कि आरोपी श्री डाऊराम हैड कानि0 नं0 1017 पुलिस चौकी गोमती थाना चारभुजा जिला राजसमन्द द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री शम्भु सिंह को पुलिस थाना चारभुजा में दर्ज प्रकरण संख्या 176/22 में आरोपी नहीं बनाने की एवज में परिवादी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पूर्व ही 5,000 रूपये प्राप्त करना, दिनांक 01.12.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 20,000 रूपये रिश्वत राशि मांगने एवं मांग अनुसार दिनांक 14.12.2022 को 20,000/– रूपये रिश्वत राशि आरोपी श्री डाऊराम हैड कानि0 द्वारा श्री भंवरनाथ प्राइवेट व्यक्ति को दिलाना एवं श्री भंवरनाथ प्राइवेट व्यक्ति द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के उपरांत आरोपी डाऊराम से मोबाईल पर रिश्वत राशि प्राप्त करने संबंधी वार्ता करना व आरोपी डाऊराम द्वारा रिश्वत राशि पर सहमति जाहिर करना तथा श्री भंवरनाथ द्वारा अपने हाथ में लेकर दोनों हाथो से गिनकर अपनी सब्जी के ठेले पर रखे गल्ले में रखना, जहां से 20,000/– रूपये रिश्वत राशि बरामद होना, आरोपी श्री भंवरनाथ की हाथ धुलाई करवाने पर दाहिने हाथ के धोवण का रंग गुलाबी एवं बाये हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल सफेद कागज की पर्चियों पर रूई से लिए गए धोवण का रंग मटमैला प्राप्त होना (1) श्री डाउराम पुत्र स्व0 श्री चुन्नीलाल जी जाति खटीक उम्र 52 वर्ष निवासी अर्जुनगढ पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द हाल हैड कानि0 नं0 1017 चौकी गौमती पुलिस थाना चारभुजा (2) श्री भंवरनाथ पुत्र लेहर नाथ जाति नाथ उम्र 31 वर्ष पैशा–सब्जी विक्रेता निवासी जस्सा जी का गुडा पुलिस थाना चारभुजा

जिला राजसमन्द का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादस का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया गया।

अतः आरोपीगण (1) श्री डाउराम पुत्र स्व0 श्री चुन्नीलाल जी जाति खटीक उम्र 52 वर्ष निवासी अर्जुनगढ पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द हाल हैड कानि0 नं0 1017 चौकी गौमती पुलिस थाना चारभुजा (2) श्री भंवरनाथ पुत्र लेहर नाथ जाति नाथ उम्र 31 वर्ष पैशा–सब्जी विक्रेता निवासी जस्सा जी का गुडा पुलिस थाना चारभुजा जिला राजसमन्द में कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राज. जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(अनूप सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजसमन्द

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनूप सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री डाउराम पुत्र श्री चुन्नी लाल खटीक, हैड कानि. नं. 1017, पुलिस चौकी गोमती, पुलिस थाना चारभुजा जिला राजसमंद एवं 2. श्री भंवरनाथ पुत्र श्री लेहर नाथ(प्राईवेट व्यक्ति) निवासी जस्सा जी का गुडा, पुलिस थाना चारभुजा जिला राजसमंद के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 473/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 4041-44 दिनांक 15.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला राजसमंद।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद।

15.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।